

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 23.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।



थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार,

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 22.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, जनपद महोबा के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा गठित टीम के उ. नि. महेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा ग्राम नगाराघाट मे ताश पत्तो से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये 04 नफर अभियुक्तगण को मय मालफड़ 1240/- रुपये, 52 अदद ताश के पत्ते व जामातलाशी 610/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 139/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा
2. कां आर्यन सिंह
3. कां गौरव सविता
4. कां राहुल कुमार

बरामदगी-

कब्जे से कुल 1,850/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. कल्लू राजपूत पुत्र स्व मोतीलाल उम्र 45 वर्ष
2. जयराम अनुरागी पुत्र स्व धनीराम उम्र करीब 52 वर्ष
3. रामजीवन राजपूत पुत्र जय सिंह उम्र करीब 40 वर्ष
4. शिवम पुत्र गुलाब यादव उम्र 19 वर्ष निवासीगण ग्राम नगाराघाट थाना पनवाड़ी महोबा



थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अवैध शस्त्र धारक अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में दिनांक 22.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में श्री प्रवीण कुमार सिंह, थानाध्यक्ष थाना श्रीनगर द्वारा गठित की गयी टीम के उ.नि. देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा एक नफर अभियुक्त दिलीप यादव पुत्र रतन सिंह यादव उम्र 20 वर्ष को लुहेडी मोड गेट के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 162/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ.नि. देवेन्द्र पाण्डेय
2. का0 विजय शंकर त्रिपाठी

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त-

दिलीप यादव पुत्र रतन सिंह यादव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बम्हौरिया थाना अजनर महोबा



थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने 02 किलो अवैध सूखे गांजे के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अवैध मादक पदार्थों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में दिनांक 22.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री उमेशचन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में श्री प्रवीण कुमार सिंह, थानाध्यक्ष श्रीनगर द्वारा गठित की गयी टीम के उ0नि0 अर्जुन सिंह द्वारा 01 नफर अभियुक्त बीरेन्द्र सिंह पुत्र करन सिंह उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम बमौरी थाना कबरई जनपद महोबा को उर्मिल नदी पुल के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से एक बण्डल में 02 किलोग्राम सूखा नाजायज गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु.अ.सं. 163/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अर्जुन सिंह
2. उ0नि0 विकाश धर दुवे
3. का0 विवेक कुमार
4. का0 अजय सोनकर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बीरेन्द्र सिंह पुत्र करन सिंह उम्र 36 वर्ष नि0 ग्राम बमौरी थाना कबरई जनपद महोबा

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 02 किलोग्राम सूखा नाजायज बरामद होना।



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री उमेश चन्द्र क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 22.08.2023 को श्री गणेश कुमार, थानाध्यक्ष थाना चरखारी द्वारा गठित की गयी टीम के उ.नि.सुभाषचन्द्र तिवारी के द्वारा 01 नफर अभियुक्त राहुल बसोर पुत्र राजू बसोर उम्र करीब 21 वर्ष निवासी मु0 छोटा रमना कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा को यात्री प्रतीक्षालय रायनपुर तिराहा कस्बा चरखारी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर कच्ची शराब महुआ नाजायज बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 163/2023 धारा आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुभाषचन्द्र तिवारी
2. का. जयदीप पटेल थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी-

एक प्लास्टिक पिपिया में 10 लीटर कच्ची शराब महुआ नाजायज बरामद होना।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राहुल बसोर पुत्र राजू बसोर उम्र करीब 21 वर्ष निवासी मु0 छोटा रमना कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा



थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा

कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शस्त्र धारक अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में दिनांक 22.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजनर प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे द्वारा गठित टीम के उ0नि0 मिथलेश कुमार सिंह द्वारा सगुनियामाफ से बुधवारा रोड पर बने तालाब के पास से एक नफर अभियुक्त आसवेन्द्र राजपूत पुत्र स्व0 श्रीपत उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा को मय एक अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 156/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मिथलेश कुमार सिंह 2. कां0 अरुण यादव थाना अजनर जनपद महोबा।

बरामदगी-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज मय जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज।

गिरफ्तार अभियुक्त व अपराध विवरण-

आसवेन्द्र राजपूत पुत्र स्व0 श्री श्रीपत उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर सम्बन्धित मु0अ0स0 156/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर महोबा।



थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने 01 किलो 250 ग्राम अवैध

सूखे गांजे के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध मादक पदार्थों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में दिनांक 22.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री लाखन सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 दिनेश तिवारी द्वारा 01 नफर अभियुक्त संजय पटेरिया पुत्र स्व0 ईश्वरदयाल पटेरिया उम्र करीब 45 वर्ष को कृषि विज्ञान केन्द्र के सामने कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 250 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ पर मु0अ0सं0 238/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

संजय पटेरिया पुत्र स्व0 ईश्वरदयाल पटेरिया उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम छितरवारा थाना महोबकंठजिला महोबा हाल निवास स्टेशन रोड बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामदगी-

01 किलो 250 ग्राम अवैध सूखा गांजा नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दिनेश तिवारी
2. का0 जितेन्द्र कुमार बिन्द
3. का0 मनोज कुमार
4. कां0 इन्द्रपाल चौहान



अवैध शराब के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही के क्रम में कुलपहाड़ क्षेत्र में की गयी बड़ी कार्यवाही-

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 60 लीटर अवैध शराब सहित शराब भट्टी व उपकरणों के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 22.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री लाखन सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह के द्वारा 01 नफर अभियुक्त जितेन्द्र कबूतरा पुत्र स्व0 राकेश कबूतरा उम्र 38 वर्ष निवासी चुरारी कबूतरा डेरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को चुरारी कबूतरा डेरा से हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 03 अदद प्लास्टिक की पिपियों से कुल 60 लीटर कच्ची देशी शराब सहित शराब बनाने के उपकरण 01 अदद भट्टी, 02 अदद पतीले, 02 प्लास्टिक की नलकी बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 239/2023 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह
2. कां0 देवेन्द्र राजपूत
3. म0का0 पिकी यादव थाना कुलपहाड़ महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

जितेन्द्र कबूतरा पुत्र स्व0 राकेश कबूतरा उम्र 38 वर्ष निवासी चुरारी कबूतरा डेरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामदगी-

1. 03 अदद प्लास्टिक के पिपियों से कुल 60 लीटर कच्ची शराब देशी
2. शराब बनाने के उपकरण में 01 अदद भट्टी, 02 अदद पतीली, 02 प्लास्टिक की नलकी बरामद।



थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने 02 वारण्टी

अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, जनपद महोबा के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ प्रभारी निरीक्षक श्री यंशवत सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 वासदेव दुबे द्वारा ग्राम दिदौरा से एक नफर वारण्टी अभियुक्त महेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र हरी सिंह उम्र करीब 28 वर्ष को सम्बन्धित परिवाद सं0 363/21 सीसीएन 64/20 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व ¼ डीपी एक्ट थाना अजनर में गिरफ्तार किया गया ।

इसी क्रम में उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय द्वारा 01 नफर अभियुक्त शिशुपाल सिंह पुत्र हरदेव सिंह ठाकुर उम्र करीब 32 वर्ष को सम्बन्धित मु0सं0 47/19 धारा 354/504/506 भादवि में ग्राम सौरा से गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 वासदेव दुबे
2. उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.महेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र हरी सिंह उम्र करीब 28 वर्ष नि0 ग्राम दिदौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा
- 2.शिशुपाल सिंह पुत्र हरदेव सिंह ठाकुर उम्र करीब 32 वर्ष ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा



जनपदवासियों को साइबर अपराध से बचाने के लिये पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा शुरू किया गया अभियान "ऑपरेशन ज्ञान कवच"- जनपदीय साइबर सेल की पुलिस टीम जनपद के विभिन्न स्थानों में भ्रमण कर साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा के सम्बन्ध में देंगे महत्वपूर्ण जानकारी-

बढते हुये साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा अभियान *ऑपरेशन ज्ञान कवच* की शुरुआत की गयी है, ऑपरेशन ज्ञान कवच अभियान के तहत जनपदीय साइबर सेल की पुलिस टीम जनपद के विभिन्न स्कूलों/कालेजों, कोचिंग संस्थानों, ग्राम सचिवालय व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में भ्रमण कर जनपद वासियों को साइबर अपराध के प्रति जागरुक करेगी तथा उनको साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारीयां प्रदान करेगी।

साइबर ठग, ठगी के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन हम लालच में आकर उनके झांसे में आ जाते हैं और अपनी गोपनीय जानकारी को खुद ही उनके साथ साझा कर देते हैं, साइबर ठगी से बचाव के लिये साइबर सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरुक किये जाने हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा की पहल पर जनपदीय साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा साइबर जागरुकता चौपाल का आयोजन कर साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरुक कर रही है। जिससे अधिक से अधिक लोग जागरुक हों व साइबर ठगी का शिकार न बनें।

ऑपरेशन ज्ञान कवच अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.08.2023 को श्री रवि कुमार सिंह, प्रभारी साइबर सेल के नेतृत्व में जनपदीय साइबर सेल पुलिस टीम (उ0नि0 बृजेन्द्र सिंह, कां. सत्यम सिंह) द्वारा जनपद के थाना खरेला के कस्बा खरेला में साइबर जागरुकता चौपाल का आयोजन कर स्थानीय लोगों को साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर जागरुक किया गया, बताया गया कि सोशल मीडिया एकाउंट में टू स्टैप वैरीफिकेशन लगाने की सलाह दी, साथ ही ओटीपी को किसी से शेयर न करने और न ही कोई निजी जानकारी साझा करने की अपील

कर विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध जैसे- फिशिंग, सोशल मीडिया सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, ऑनलाइन गेमिंग, वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के विस्तृत उपाय बता जागरुक करते हुए बताया गया यदि किसी के साथ वित्तीय साइबर फ्रॉड होता है तो तुरन्त www.cybercrime.gov.in साइबर सेल/थानों में संचालित साइबर हेल्प डेस्क या साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें ताकि शीघ्र कार्यवाही करते हुये आपकी मदद की जायेगी।



जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्ति-वस्तु व वाहनों की की गयी सघन चेकिंग, पैदल गस्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का दिलाया गया भरोसा।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री सत्यम के नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.2023 को जनपद में चाक-चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष/ चौकी प्रभारी द्वारा मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं कालीन पैदल गश्त की जा रही है।

पैदल गश्त के दौरान जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई तथा अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों, दुकानदारों एवं अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़ा करने वाले लोगों से वार्ता कर शासन की मंशानुरूप उन्हें व्यवस्थित तरीका अपनाने के लिए दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश व आमजन को आश्वस्त कराया गया कि जनपद महोबा पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। संवेदनशील स्थानों में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग की गई साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन में वाहनों के ई-चालान किये गये।



थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद महोबा के निकट पर्यवेक्षण में श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा द्वारा गठित टीम में उ0नि0 श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के द्वारा अभियुक्त ओमनिवास साहू पुत्र केशव प्रसाद साहू (उम्र 27 वर्ष) पता ग्राम खडेहा थाना सरबई जिला छतरपुर म0प्र0 के कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम सूखा गाँजा नाजायज बरामद करते हुये पुलिस लाईन तिराहा से नियमानुसार गिरफ्तार किया। कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0स0-380/2022 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा 2. उ0नि0 अनुज कुमार तिवारी थाना कोतवाली नगर जिला महोबा 3. हे0कां0 श्रीपत यादव 4. कां0 रामकुमार तिवारी 5. कां0 अजीत सिंह 6. कां0 देवराज 7. कां0 अभय पटेल

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

ओमनिवास साहू पुत्र केशव प्रसाद साहू (उम्र 27 वर्ष) पता ग्राम खडेहा थाना सरबई जिला छतरपुर म0प्र0

बरामदगी:-

01 किलो 200 ग्राम सूखा गाँजा नाजायज।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 23.08.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस